उ०प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के 4 सदस्यों के निर्वाचन संबंधी सूचना

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सदस्यों का चुनाव होना प्रस्तावित है जिसकी सूचना सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के भाग–8 में दिनांक 13 जनवरी, 2024 को प्रकाशित हो चुकी है। (प्रति संलग्न)

निर्वाचन संबंधी नियमों के नियम 1-ए. के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है :-

SCHEDULE A

- (e) "Registered Medical Practitioner" means a person whose name is borne on the current register of medical practitioners maintained under the provisions of the U.P. Medical Act. 1917.(f) "Voter" means-
- (i) for purpose of election under items 9 and 10 of rule 3 a registered medical practitioner residing in Uttar Pradesh and possessing a degree, diploma or license which is included in Schedules 1st and 2nd of the Indian Medical Council act. XXVII of 1933, or granted by an University in India established by Central or State Act.
- (ii) For purposes of election under items 11 and 12 of rules 3 a registered medical practitioner possessing qualifications other than those mentioned under clause (I) above and residing in the Uttar Pradesh.
- (g) "Electoral Roll" means the current medical register of the State so far as its entries relate to medical practitioners who possess qualification of a voter as described in clauses (i) or (ii) of sub paragraph (f).
- 2. When a vacancy on the Uttar Pradesh State Medical Faculty occurs under items 9 to 12 rule 3 at any time within hundred days prior to the date when such a vacancy will occur, in the ordinary course of events, the President of the State Medical Faculty shall inform the State Government of the vacancy, and shall issue a notice to electorate concerned apprising it of the said vacancy and requiring it to elect a substitute within a date mentioned in the notice. Such notice shall be published in the official Gazette.
- 3. Candidate for election shall be nominated by means of nomination papers in form I (Appendix A) which shall be supplied by the Returning Officer to any voter who may apply for the same.

उपरोक्त अर्हता रखने वाले उ०प्र० मेडिकल कौसिल में पंजीकृत एम०बी०बी०एस० चिकित्सक यदि इस निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक हैं तो वे प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से 5 बजे के मध्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 5 सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ के नाम आवेदन—पत्र देकर नामांकन पत्र ले सकते हैं और उसे समुचित रूप से भरकर आवश्यक प्रपत्रों सिहत एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक चिकित्सक के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना नामांकन—पत्र 29 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे से पूर्व जमा कर सकते हैं।

पूर्णतः भरे हुये नामांकन—पत्र, हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई—मेल electionupsmf2023@gmail.com पर/स्पीड पोस्ट द्वारा/कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से 29 जनवरी, 2024 को दोपहर 2 बजे से पूर्व इस कार्यालय में प्रेपित किया जा सकता है। तदोपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 जनवरी, 2024 ई० (पौष 23, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ विज्ञप्ति

13 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या : SMF/2023/9699--उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निर्वाचन संबंधी नियम 2 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नियम 3 के भाग 9–10 एवं 11–12 में उल्लिखित समस्त निर्वाचक-गणों को सूचित किया जाता है कि फैकल्टी के निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों को समाप्त हो रही है जिसके कारण उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति में क्रमशः चार स्थान रिक्त हैं, उनकी पूर्ति के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन होना है।

1-डा० विनीत शर्मा

2—डा0 अनिल कुमार अग्रवाल

3–डा० अजय शुक्ला

4-डा० विनीता सिंह

नियम 3 के भाग-9 के अन्तर्गत

नियम 3 के भाग-10 के अन्तर्गत

नियम 3 के भाग-11 के अन्तर्गत

नियम 3 के भाग-12 के अन्तर्गत

निर्वाचन नियमों के नियम 1(ए) के अनुसार सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ निर्वाचन अधिकारी हैं।

चुनाव हेतु प्रत्याशियों का मनोनयन नामांकन-पत्रों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक नामांकन-पत्र दो निर्वाचकों (प्रस्तावक और अनुमोदक) द्वारा समर्थित होना चाहिए। पूर्णतः भरे हुये नामांकन-पत्र, हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-मेल electionupsmf2023@gmail.com पर/डाक द्वारा/कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किया जा सकता है।

अस्तु उक्त निर्वाचनों के लिए नामांकन-पत्र का प्रारूप विभिन्न सोपानों के लिए तिथियाँ एवं समय निर्धारित किया जाता है। निर्वोचन संबंधी विवरण कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा।

- 2 नामांकन-पत्रों के जांच की तिथि एवं समय
- 3 प्रत्याशिता वापस लेने की तिथि
- 4 एक से अधिक प्रत्याशी होने की दशा में मतपत्र 23 फरवरी, 2024, निर्वाचकों को भेजने की अंतिम तिथि
- निर्वाचन का दिन व समय
- गणना की तिथि
- 1 नामांकन-पत्रों के कार्यालय में पहुंचने की तिथि एवं समय गजट प्रकाशन की तिथि से 29 जनवरी, 2024 के अपरान्ह 2 बजे तक
 - 29 जनवरी, 2024 को अपरान्ह 2 बजे से सायं 5 बजे तक
 - 06 फरवरी, 2024,
 - 01 मार्च, 2024 प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे
 - 02 मार्च 2024

नोट :- (*) क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 पर अंकित तिथियाँ आवश्यकतानुसार बढ़ायी भी जा सकती हैं। बढ़ाने की स्थिति में सूचना राजकीय गजट में प्रकाशित की जायेगी।

(ह0) अस्पष्ट, सचिव/निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

नामांकन-पत्र का प्रारूप निम्नलिखित है -

NOMINATION PAPER

	Qualifications and Registration No.	of Rule of the Uttar Pradesh Sta Name, Address, Registration no. and Signature of proposer	Name, Address, Registration no. and Signature of secondar
--	-------------------------------------	---	---

Returning Officer.

Nomination papers which are not received by the Returning Officer (at the Office of the Uttar Pradesh State Medical Faculty at Lucknow) before 12 noon on the 29-01-2024 will be invalid.

Certificate to be signed by the candidate.

I declare that I am willing to stand for election.

Signature of Candidate.

उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल, लखनऊ विज्ञप्ति

13 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 : मेडिकल / 2023 / 9701 – उत्तर प्रदेश मेडिकल एक्ट 1917 (एक्ट III-1917) के निर्वाचन नियमों के नियम 2 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश मेडिकल एक्ट 1917 (एक्ट III-1917) की धारा 4 उपधारा 1 के खण्ड (डी) (ई) (एफ) (जी) तथा (एच) में उल्लिखित समस्त निर्वाचकों को सूचित किया जाता है कि नीचे दिये गये सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के कारण मेडिकल कौंसिल से संबंधित उपखण्ड के अन्तर्गत दिखाये गये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हेतु उन्हें निर्दिष्ट सदस्य चुनने हैं।

19 1040 1040 1040	
घारा 4(1) (डी)	स्थान
डा० नकवी मोहम्मद जैनब कनीजा	1
घारा 4(1) (ई)	
(i) डाo प्रदीप कुमार गुप्ता	2
(ii) डाo शुभा सिंह	
धारा 4(1) (एफ)	
डा० विनय प्रकाश चतुर्वेदी	1
घारा 4(1) (जी)	
(i) डा0 राम श्रृंगार दुबे	2
(ii) डाo सुरेश द्विवेदी	
धारा 4(1) (ए च)	
(i) डाo विक्रम सिंह	2
('')	

(ii) डा० आयुश पाण्डेय निर्वाचन नियमों के नियम 1(बी) के अन्तर्गत रिजस्ट्रार, उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल इस निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी होंगे।

चुनाव हेतु प्रत्याशियों का मनोनयन नामांकन-पत्रों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक नामांकन-पत्र दो निर्वाचकों (प्रस्तावक और अनुमोदक) द्वारा समर्थित होना चाहिए। पूर्णतः भरे हुये नामांकन-पत्र, हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-मेल electionupmcf2023@gmail.com पर/डाक द्वारा/कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किया जा सकते है।

अस्तु उक्त निर्वाचनों के लिए नामांकन-पत्र का प्रारूप विभिन्न सोपानों के लिए तिथियाँ एवं समय निर्धारित किया जाता है। निर्वाचन संबंधी विवरण संबंधित वेबसाइट upmedicalcouncil.org पर उपलब्ध कराया जायेगा।

गजट प्रकाशन की तिथि से 29 जनवरी, 2024 के अपरान्ह 2 बजे तक 1 नामांकन-पत्रों के कार्यालय में पहुंचने की तिथि एवं समय 29.01.2024 को अपरान्ह 2 बजे से सायं 5 बजे तक 2 नामांकन-पत्रों के जांच की तिथि एवं समय 06.02.2024 3 प्रत्याशिता वापस लेने की तिथि 4 एक से अधिक प्रत्याशी होने की दशा में मतपत्र 23.02.2024 निर्वाचकों को भेजने की अंतिम तिथि 01.03.2024 प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे 5 निर्वाचन का दिन व समय

02.03.2024

6 गणना की तिथि

नोट :- (*) क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 पर अंकित तिथियाँ आवश्यकतानुसार बढ़ायी भी जा सकती हैं। बढ़ाने की स्थिति में सूचना राजकीय गजट में प्रकाशित की जायेगी। (ह0) अस्पष्ट,

रजिस्ट्रार / निर्वाचन अधिकारी,

उ०प्र० मेडिकल काँसिल. लखनऊ।

नामांकन पत्र का प्रारूप निम्नलिखित है-

NOMINATION PAPER

(Under rule 3(2) of the rule published in Government, Department , Notification No. 9701/23 dated 13-12-2023 Election under clause (d), (e), (f), (g), (h) of section 4, Sub-section (1) of the Uttar Pradesh Medical Act, 1917, as amended by Amendment Acts V of 1922 and IV of 1931.

Name/ Father's Name of Candidate and Address

Qualifications and Registration No.

Name, Address, Registration no. and Signature of proposer

Name, Address, Registration no. and Signature of secondar

Returning Officer.

Nomination papers which are not received by the Returning Officer (at the Office of the Registrar Uttar Pradesh Medical Council at Lucknow) before 12 noon on the 29-01-2024 will be invalid.

Certificate to be signed by the candidate.

I declare that I am willing to stand for election.

Signature of candidate.

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल, लखनऊ विज्ञिपत

13 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 : नर्सेज / 2023 / 9700 – उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल के निर्वाचन के नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० नर्सेज एवं मिडवाइब्ज असिस्टेंट, आक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ एवं हेल्थ विजिटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1934 की धारा 4 उपधारा 1 के खण्ड (बी) के उपखण्ड (4)(5)(6) में उल्लिखित समस्त निर्वाचकों को सूचित किया जाता है कि नीचे दिये गये सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल में संबंधित उपखण्ड के अन्तर्गत दिखाये गये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हेतु उन्हें सदस्य चुनने हैं।

धारा 4(1)(बी)4

4 स्थान

वर्तमान सदस्य

1-सुनीता सिंह

2-कु0 नूतन

3-सन्तोष एस०य्०

4-के0 एच0 विक्टोरिया देवी

घारा 4(1)(बी)5

2 स्थान

वर्तमान सदस्य

1-सृष्मिता साहा

2-प्रेमलता दुबे

घारा 4(1)(बी)6 वर्तमान सदस्य

1-श्रीमती क्लारम्मा डिक्रूज

1 स्थान

निर्वाचन नियमों के नियम 1(बी) के अनुसार रिजरट्रार, उत्तर प्रदेश नर्रोज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल इस निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी होंगे।

चुनाव हेतु प्रत्याशियों का मनोनयन नामांकन-पत्रों द्वारा किया जायेगा प्रत्येक नामांकन-पत्र दो निर्वाचकों (प्रस्तावक और अनुमोदक) द्वारा समर्थित होना चाहिए। पूर्णतः भरे हुये नामांकन-पत्र, हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-मेल electionupnc2023@gmail.com पर / डाक द्वारा / कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किया जा सकता है।

अस्तु उक्त निर्वाचनों के लिए नामांकन-पत्र का प्रारूप विभिन्न सोपानों के लिए तिथियाँ एवं समय निर्धारित किया जाता है। निर्वाचन संबंधी विवरण संबंधित वेबसाइट upnursescouncil.org पर उपलब्ध कराया जायेगा।

1 1 8	विचिन सबधी विवरण संबाधत वेबसाइट प्रामाणाउटउट्टियाच	0.00 र ज्याराज्य के आधार के बार्च तक
1	नामांकन-पत्रों के कार्यालय में पहुंचने की तिथि एवं समय	गजट प्रकाशन की तिथि से 29.01.2024 के अपरान्ह 02 बजे तक
2	नामांकन-पत्रों के जांच की तिथि एवं समय	29.01.2024 को अपरान्ह 02 बजे से सायं 5 बजे तक
3	प्रत्याशिता वापस लेने की तिथि	06.02.2024
3	एक से अधिक प्रत्याशी होने की दशा में मतपत्र	23.02.2024
4	निर्वाचकों को भेजने की अंतिम तिथि	
5	निर्वाचन का दिन व समय	01.03.2024 प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे
6	गणना की तिथि	02.03.2024
		(ह०) अस्पष्ट.

(ह०) अस्पष्ट, रजिस्ट्रार/निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल।

NOMINATION PAPER

Election under Sub-clause (iv) (v) or (vi) of clause (b), sub-section (I) section 4 of the U.P. Nurses, Midwives, Assistant Midwives, Auxiliary Nurses-Midwives and Health Visitors Registration Act, XV of 1934.

Name/ Father's Name of Candidate and Address	Qualifications and Registration No.	Name, Address, Registration no. and Signature of proposer	

Returning Officer.

Nomination papers which are not received by the Returning Officer (at the Office of the Uttar Pradesh Nurses & Midwives Council at Lucknow) before 12 noon on the 29-01-2024 will be invalid.

Certificate to be signed by the candidate.

I declare that I am willing to stand for election.

Signature of candidate.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, खोड़ा-मकनपुर, गाजियाबाद विज्ञिप्त

31 मार्च 2023 ई0

सं० २०९९ / न०पा०परि०खो०म०गा० / उपनियम / २०२२–२३ – संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, १९१६ यू०पी० एक्ट संख्या—2, 1916 की धारा 298(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, निकाय की विशेष बोर्ड बैठक दिनांक 08 सितम्बर 2022 में पारित प्रस्ताव सं0–05 के द्वारा नगरपालिका परिषद्, खोडा-मकनपुर सीमान्तर्गत प्रतिलिपि शुल्क उपविधि बनायी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में नगर पालिका अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन समस्त नगरवासियों से आपत्ति एवं सुझावों को आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से कार्यालय पत्रांक संख्या 1129/1/ न0पा0परि0खो0म0गा0 / उपनियम / 2022-23, दिनांक 07 अक्टूबर 2022 के द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर 2022 को दैनिक समाचार-पत्र ''अमर उजाला'' एवं ''राष्ट्रीय सहारा'' में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित समयावधि (30 दिवस) के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने के उपरान्त सर्वसम्मति से वाहन किराया शुल्क उपविधि को रवीकृति प्रदान की गयी है।